

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(7):वित्त-1(1)आय.व्य/2015

जयपुर, दिनांक : 22/06/16

स्वीकृति संख्या:- 109/2016-17

कोषाधिकारी,
सम्बन्धित।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभिन्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जिला परिषदों के पी.डी. खातों में राशि रुपये 20.00 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.5()एसोटीएडी/माडा/शिक्षा जकनि /2016-17 दिनांक 9.06.2016 स्वीकृति संख्या 24/2016-17 में अंकित शर्तों के अनुसार विभिन्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) जिला परिषदों के पी.डी. खातों में राशि रुपये 20.00 लाख (अक्षरे रुपये बीस लाख) मात्र की राशि निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे:-

मांग संख्या -30

- 2225 - अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण
02 -- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
793 - जनजातिय क्षेत्र उपयोजना
(16) - बिखरी जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जकनि)
[02] - महाविद्यालय स्तर के छात्र छात्राओं का शैक्षणिक उत्तरेण
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर-संवैतन) (आयोजना) राशि रुपये 20.00 लाख मात्र

क्र.सं.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामिण विकास प्रकोष्ठ) जिला परिषद	राशि रू. लाखों में
1.	बांस	0.625
2.	बाड़मेर	1.150
3.	भरतपुर	0.250
4.	बीकानेर	0.050
5.	बूंदी	0.700
6.	दुरु	0.075
7.	श्री गंगानगर	0.100
8.	हनुमानगढ़	0.100
9.	जयपुर	2.250
10.	जैसलमेर	0.275
11.	जालोर	1.175
12.	झालावाड़	0.575
13.	झुन्झुनू	0.275
14.	करौली	0.775
15.	कोटा	0.900
16.	नागौर	0.075
17.	पाली	0.750
18.	राजसगढ़	0.875
19.	रावाड़ माधोपुर	0.675
20.	उदयपुर	1.250
21.	प्रतापगढ़	0.125
22.	अजमेर	0.375
23.	अलवर	1.075
24.	भीलवाड़ा	1.025
25.	चित्तौड़गढ़	1.000
26.	दौसा	0.900
27.	धौलपुर	0.125
28.	जोधपुर	0.750
29.	सीकर	0.500
30.	सिरोही	0.675
31.	टोंक	0.550
	योग	20.00

संयुक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय
W. Singh
(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा- प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
- 2 आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 3 संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
- 5 संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामिण विकास प्रकोष्ठ) जिला परिषद
- 6 अतिरिक्त निदेशक, (संयुक्त निदेशक) वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
- 7 अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
- 8 रक्षित फ़ाइल।

W. Singh

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

23/6/16